KHOOB CHAND CHANDRAWAR

Q- आप मुक्ति मोर्चा से कैसे जुडे ।

Ans. मै पढाई छोडन के बाद काम की तलाश में उरला क्षेत्र आया हूँ उसके बाद एक प्लाईवुड है, BTW प्लाईवुड उस प्लाईवुड में काम कर हा था उस दौरान मजदूरों का वहाँ पर बहुत शोषण किया जा रहा था । उस शोषण के खिलाफ जब मै वहाँ पर बात किया है तो मैनेजमैन्ट ने मुझें वहाँ से काम पर से निकाल दिया मै वहाँ पर हाईप्रेस प्रेस में काम करता था ।

Q- शोषण किस तरह का था

Ans. शोषण यह था कि मजदूरों को बहुत कम रोजी देता था १२ घन्टें २४ घन्टें काम लेता था

Q- आपकों कितना रोजी मिलता था

Ans. उस समय मेरे को १७ रूपयें रोजी मिलता था

Q- कितने घन्टें काम करना होता था ।

Ans. १२ घन्टें काम करना पडता था ।

Q- और किस तरह का हालत थे वहाँ पर

Ans. वहाँ पर मजदूरों की बहुत खराब हालत थी कोई सुविधा नही मिलना पेय और कभी भी दुघर्टना हो जाना हाथ पैर कट जाना इसके खिलाफ मै आवाज उठाया

Q- यह कौन सी साल की बात है ।

Ans. यह १९९० की बात है उसके बाद मैनेजमैन्ट ने सोचा कि यह मजदूरों को भडका रहा है और मुझें काम पर से निकाल दिया

Q- आपकों अकेले को निकाला कि और भी लोगों को निकाला

Ans. मेरे साथ पाँच लोगों को निकाला फिर हम छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा संगठन में गये ।

Q- मुक्ति मोर्चा का आपकों कैसे पता चला

Ans. उस क्षेत्र में छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा काम कर रहा था फिर हमकों जानकारी मिली और हम लोग वहाँ पर गये सरोरा आफिस था पहले तो वहाँ के सभी साथी लोग हमारी कम्पनी में आये बात किये, बात करने के फिर मुझें और मेरे साथियों को काम पर रखा दिये ।

उसके बाद ५-६ महीने काम करने के बाद फिर से काम पर से निकाल दिया उसके बाद मेरा केस श्रम न्यायालय में गया उसके बाद केस चलता रहा । इस तरह मै संगठन के साथ पूरा सकिय रूप से जुट गया और आज भी संगठन के साथ काम कर रहा हूँ ।

Q- आपका अपने केस का क्या हुआ

Ans. लेवर कोर्ट में तो मै जीत गया हूँ और जो मेरा ५३ हजार का वसूली निकाला है उस वसूली के लिए तहसीलदार के यहाँ केस चल रहा है ।

Q- श्रम न्यायालय ने आपको क्या आर्डर दिये ।

Ans. श्रम न्यायालय ने आर्डर दिया कि इसकों पिछला वेतन ५० प्रतिशत के हिसाब से काम पर रखा जाये और उसका पालन किया जाये ।

Q- तो आपकों टोटल कितना मिलना चाहिए

Ans. उस समय मुझें एक हजार रूपयें मिल रहा था उसमें से ५० प्रतिशत पेमेन्ट देने की बात हुई थी तो अभी जो हमने क्लेम लगाया है वह ५३ हजार का है ।

Q- तो मालिक ने आपकों कुछ दिया है

Ans. नही अभी केस चल रहा है वहाँ पर

Q- क्लेम में कितना समय हो गया ।

Ans. क्लेम में एक साल हो गया है ।

Q- श्रम न्यायालय का आर्डर कब हुआ था

Ans. श्रम न्यायालय का आर्डर १२.५.१९९६ को हुआ था

Q- उसके बाद कुछ भी नही मिला

Ans. अभी तक कुछ नही मिला है

Q- श्रम न्यायालय में जो केस आपने डाला है उसमें आप खुद पेश होते थे या आपका वकील था या मुक्ति मोर्चा का वकील था, कैसे करते थे आप ।

Ans. वहाँ पर छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा का वकील था और मै भी वहाँ पर पेश होता था

Q- क्या आपकों वहाँ पर गवाही देनी पडी थी

Ans. गवाही देनी पडी

Q- उस केस के बारे में बताओं कैसे चला था

Ans. उस केस के बहुत बडी प्रकिया चली है । उसके बाद कम्पनी के मालिक को नोटिस दिया गया । नोटिस पर भी वह नही आया उसमें एक्स पार्टी हुआ है । एक्स पार्टी होने के बाद फिर आर्डर हुआ । फिर आर्डर होने के बाद उसको आर्डर का पालन करने

के लिए हमने श्रम श्रमायिकता को चिटठी जारी करवाई, जारी करवाने के बाद उसने फिर अपनी तरफ से नोटिस जारी किया और उसके बाद में उसने वसूली प्रमाण पठ जारी किया, उस वसूली प्रमाण पठ को कलेक्टर को दिया, कलेक्टर ने उसकों तहसीलदार को दिया, और तहसीलदार में एक साल से पेशी चल रहा है ।

Q- इस सारे दौरान कैसे आपने अपने आप को और घर चलाया

Ans. इस दौरान संगठन से जो जीने के लिए सुविधा मिलता है उसी से चला रहे है ।

Q- ये जो व्यवस्था है न्याय की श्रम कानून के अर्न्तगत जिसमें आपको गवाही देनी होती है अपना केस चलाना होता है वगैरा वगैरा आपने अपने केस में भी देखा होगा कि अब आपकें काम सभांल रहे है तो इसमें वर्कर को किस तरह कि अडचने आती है ।

Ans. इसमें बहुत सी अडचने आती है जैसे कि मजदूरों को काम से निकाल दिया जाता है फिर वह सहायक समिति के पास जाता है सहायक समिति में लगातार पेशी चलती है । मालिक लोग आते भी नही है । उसके बाद वहॉ पर असफल प्रतियोजन करता है । असफल करने के बाद में सहायक समितियों को हिसाब देता है । सहायक समिति भी कोर्ट को रेफर करता है । कोर्ट से भी हमकों नोटिस मिलता है । जो विपक्ष पार होते है वह उसके बाद अपना दावा करता है वहॉ पर दावा के बाद मुकदमा भी वहॉ पर बहुत अडचने आती है कि वकीलों के पास जाना पडता है दावा

(मुकदमा) करने के बाद मजदूर अपने पैसे से रजिस्ट्री देता है कोर्ट द्वारा फिर नोटिस जाता है । नोटिस जाने के बाद भी मालिक लोग नही आते । एक दो साल मजदूर ऐसे ही घूम जाते है । उसके बाद अगर किसी तरह से वहाँ पर लेबर कोर्ट ने एक दो केस में एक्स पार्टी करता है । एक्स पार्टी करने के बाद में जब पालन करने का समय आता है तो मालिक उसमें फिर से अडचन लगा देता है कि हमकों इस केस के बारे में जानकारी नही था । इसलिए हमकों बोलने का मौका दिया जाये, ऐसे में मजदूरों को जो एक केस में जो छः महीने एक साल के अन्दर निपट जाना चाहिए उसके लिए दस साल चक्कर काटना पडता है और फिर से उसी न्यायाधीश ने अपने जो आर्डर को मालिक को कुछ जमानत देकर उसके उपर कोस्ट लगा कर उसकों अपने ही आर्डर को गवाही के लिए मौका दिया जाता है इस प्रकार आज की परिस्थिती में मजूदर अपने पैसे से लड नही पाते है बहुत मुश्किल है ।

Q- आपको क्या लगता है अगर आप अकेले होते हो मुक्ति मोर्चा या सगठंन के साथ नही होते तो इतनी लम्बी कानूनी लडाई लड पाते ।

Ans. नही लड पाते है क्योंकि हमारी इतनी क्षमता ही नही है खुद के पेट पालने के लिये तो फिर जो फीस कोर्ट कचहरी के लिये या वकीलों के लिए होती है । वह हम लोग दे नही पाते है ।

Q- कही वर्करों को जब निकाल दिया यूनियन बनने के कारण भिलाई उधोग क्षेत्र में उरला में सिम्पलक्स कास्टिंग उगेरा ये तो उसमें

और किस तरह का लिगल समस्याए आती है क्या उनको प्रुफ देना पडता है कि वह वर्कर थे इसका भी कोर्ट problem आता है ।

Ans. यळों पर तो बहुत सी problem है क्योकि औधोगिक क्षेत्र में कही भी मजदूरों को हाजरी कार्ड वेतन पत्र जो भी कानूनी तरह से देना चाहिए, वह देते नही है ।

और बिना कोई नोटिस, सूचना के काम से निकाल देते है तो मजदूर को साबित करने के लिए बहुत कठिनाई होती है, यह साबित करना की मै वहाँ काम करता था ।

मालिक पक्ष से केवल एक ही बात कहते है कि यह हमारे यहाँ वर्कर नही है ।

Q- आपने किस किस तरह से साबित किया

Ans. हमारा तो एक्स पार्टी हो था तो साबित करने कें कोर्ट समस्या नही था जो बाकी वर्करों को जो वर्तमान में वहाँ काम कर रहे है । उनकों अपने पक्ष में ब्यान दिलवाना पडता था तब यह साबित होता है कि यह वहाँ काम कर रहा था ।

Q- कही केस आपके सामने होते है तो किस तरह से वर्कर साबित कर पाते है ।

Ans. उसमें मजदूरों को साबित करने में बहुत परेशानी होती है कही कही तो ऐसा होता है जैसे अपने गांव की चिटठी जो आती है । उसकों सभांल के रखाते है तो उससे साबित कर देते है कि हम वहाँ पर काम करते थे और लगातार काम किये इसलिए हमकों वहाँ पर सरकारी डाक द्वारा यह चिटठी प्राप्त होता रहा पर हम

वहाँ काम करते थे इस प्रकार से बहुत से मजदूर अपने पास संभाल कर रखाते है ।

Q- आप उरला में मुक्ति मोर्चा की तरफ से क्या काम देख रहे है

Ans. मै उरला क्षेत्र में जो छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा द्वारा जो काम सौपा गया है, वह लेबर कोर्ट इन्डस्ट्रीयल कोर्ट, और पी.एफ उगेरों के जो भी विभाग व काम है वह मै देख रहा है ।

Q- अभी यहाँ पर किस किस तरह के केस चल रहे है ।

Ans. यहाँ पर अभी हमारे तो एक

Q- न्यूनतम वेतन किस फैक्ट्री का चल रहा है ।

Ans. न्यूनतम वेतन तो जो हमारे संगठन से फैक्ट्री कम्पनी जुडती है । वह सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन देते है ।

Q- इस वक्त न्यूनतम वेतन क्या मिल रहा है ।

Ans. मजदूरों को अभी तो ३०-३५ रूपयें मिल रहा है

Q- जो केस लगाया है वह कहाँ पर लगाया है

Ans. यह श्रम न्यायालय में लगाया है ।

Q- वहाँ पर कोई सुनवाई हुई है ।

Ans. नही सुनवाई अभी नही हुई श्रम न्यायालय में भी इतने केस है कि महीनें में भी पेशी नही लग पाता है । दूसरी चीज यह है कि जो न्यूनतम वेतन होता है उसमें लेवर श्रम विभाग द्वारा ही पारित करते है, इसलिए मजदूरों को जानकारी भी नही होती है कि हमारे न्यूनतम वेतन पेशी में क्या हो रहा है ।

Q- उसमें लेवर इस्पेक्टर उगेरा जाता है ।

Ans. जी न्यूनतम वेतन के सम्बध में जब कोर्ट भी कम्पनी जुड जाती है सके बारे में लेवर कोर्ट (LC) विभाग जो है उसको सूचना देते है उसके द्वारा वह जॉच करते है जॉच करने के बाद फिर वह श्रम न्यायालय में केस दायर करते है ।

उसमें सबसे खराब बात है कि पक्षाकार को अपना बात रखने के लिये वकील रखने के लिए उसमें व्यवस्था नही दिया है इसलिए मजदूरों को पता नही चलता कि हमारा न्यूनतम वेतन का केस चल रहा है । श्रम विभाग ही उसमें पक्ष बुलाते है ।

Q- आपकों लगता है कि यह बहुत बडा problem है ।

Ans. बहुत बडा problem है ।

Q- श्रम विभाग के जो आफिसर न्यूनतम वेतन बोनस के लेके आपकों क्या लगता है । वह कैसे काम करते है ।

Ans. यें तेा बस मिली भगत है । बस जाते है कम्पंनी में मजदूर जैसे हमने श्रम विभाग .....

या हम बोले कि हमकों ESI कार्य नही है । हमकों परिचय पत्र का सुविधा नही है । तो वह लेवर विभाग के जो भी इन्सपेक्टर होते है । सीधें कंम्पनी जाते है । कम्पनी में जाकर वह मैनेजमेन्ट से जानकारी ले लेते है ।

वह मजदूरों से पूछते नही कि आप कहॉ काम करते है आपका यह शिकायत है और आकर सीधा अपना केस दायर कर देते है, इसलिए मजदूरों को वहॉ पर कोई राहत नही मिलता है ।

यूनियन को भी कोई जानकारी नही होती है । जब जॉच कर लेते है तो बोलते है कि हमने आपकी शिकायत पर जॉच की है ।

मालिक ने बोला है कि हमारे यहॉ कोई मजदूर नही है या हमारे यहॉ न्यूनतम वेतन लागू कर रहे है । यह सब वहॉ पर खराब बात है ।

Q- बोनस उगेरों के भी कोई केस चल रहे है ।

Ans. बोनस का केस भी चल रहा है बोनस को भी वह स्थिति है । बोनस का अगर पालन नही करते है तो सीधा श्रम न्यायालय में ही जाते है । तो यह प्रकिया बहुत लम्बी है इस प्रकार मजदूरों को तत्कालीन राहत मिलने की उम्मीद नही है ।

Q- ID ACT में भी आप बोल रहे थे कोर्ट केस चल रहा है

Ans. IDACT में पूरा उरला क्षेत्र में ID Act का ही मामला है

Q- उसमें क्या मामला चल रहा है ।

Ans. उसमें ID ACT में मजदूरों को काम ले निकाल दिया गया हमारे द्वारा (मुकदमा) दावा किया गया कि हमकों पिछले वेतन के हिसाब से हमकों वापस काम पर लिया जाए ।

Q- यह केस कब से चल रहा है

Ans. यह १९९०-९२ से जैसे जैसे श्रमिक हमारे साथि जुडते गये वह लगातार १९९० से आज तक चलते ही रहे है ।

Q- उस केस में कितने मजदूर वर्कर होगें ।

Ans. अलग अलग कम्पनियों के अगर जोडेगं तो हमारे पास १००० मजदूर यहॉ उरला क्षेत्र में है ।

Q- अन्दाजन कितनी कम्पनी होगी ।

Ans. लगभग ५० कम्पनी

Q- १९९० से अभी तक उस मुकदमें में क्या हुआ

Ans. १९९० से आज तक उस मुकदमें में बस पेशी बढती ही जा रही है कोई कार्यवाही नही हुई है ।

Q- जो वर्कर नौकरी से निकल गये यूनियन के चलते वह फिर अब किस तरह से गुजारा कर रहे है ।

Ans. वह छोटी बाडी करते है अपना जीवन चला रहे है ।

Q- आप लोग जब कोर्ट में केस डालते है आप उस काम मे मदद करते हो तो वर्कर को कोर्ट की तरफ से निराशा नही है

Ans. कोर्ट की जो व्यवस्था है वह हम मजदूरों को पूरी बारिकी से समझा देते है ।

Q- जैसे क्या क्या बताते है ।

Ans. हम बताते है कि यहाँ श्रम विभाग या जो कानून बनाये गये है वह बहुत बेचेदा मामला है इसमें बहुत लम्बी लडाई लडना पडेगा इसके लिये आप अपना घर के काम देखते रहे और अपना पेट रोजी चलाते रहे ।

और आपका जो भी परिस्थिती रहेगा पेशी सम्बधी जो भी जानकारी हो हम लोग घूम घूम कर मजदूरों को बताते रहते है कि आपके केस में आज यह प्रोगेश हुआ है । आज आपकों ब्यान के लिए जाना है इसलिए मजदूर हमारे साथ जुडा है ।

और खास बात यह है कि हम मजदूरों से पैसा नही लेते है संगठन द्वारा वकील रखाकर उसके केस को देखते है ।

Q- जो अभी उपर हाई कोर्ट से केस में कुछ आर्डर भी हुये जैसे कुमारी डिस्टलरी उगेरा में तो कुछ वर्कर को यहाँ पर पैसा भी मिलने लगा है ६५-३ के अर्न्तगत ।

Ans. हाँ जी यहाँ पर जो मजदूरों को ६५-३ के अर्न्तगत कुमारी डिस्टलरी और भिलाई जो केडिया कुमारी दोनों से मजदूरो को पैसा मिलने लगा है ।

Q- पूरा उरला क्षेत्र में आपके हिसाब से आज मजदूर के लिये सबसे बडी समस्या क्या होगी ।

Ans. स्वसे बडी समस्या बेरोजगारी की है बेरोजगारी की समस्या है इसलिए न्यूनतम वेतन का पालन नही हो पा रहा है आज जो मजदूर काम करता है अगर न्यूनतक वेतन की बात करता है तो उसको काम से निकाल दिया जाता है ।

उसके बाद में अगर उसको ५० रूपयें मिल रहा है तो दूसरा मजदूर वहाँ ३५ रूपयें में काम करने के लिए तैयार है । यह वहाँ पर बहुत खाराब स्थिती है ।

Q- क्या उरला क्षेत्र में ज्यादातर ठेका मजदूरी पर चल रहा है ।

Ans. जी यहाँ पर जितना भी कंपनी चल रहा है वहाँ पर ठेका मजदूरी ही चल रहा है ।

Q- अब आपकों कितने साल हो गये है । कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुये ।

Ans. कोर्ट कचहरी का काम मै १९९२ से अभी तक कर ही रहा हूँ ।

Q- आपको खुद को क्या लगता है कि मजदूर को क्या करना चाहिए कोर्ट की लडाई में घुसना चाहिए कि आन्दोलन में ही रहना चाहिए कि दोनों को कैसे करे मजदूर ।

Ans. कोर्ट कचहरी तो यह प्रकिया बना हुआ है उससे तो बाहर जा ही नही सकता । जाना पडेगा लेकिन उसकों दबाव बनाने के लिए हमकों कोर्ट और रोड की जो लडाई है, दोनों को बरकार रखाना पडेगा ।

Q- आप लोग ऐसा करते है

Ans. जी हम यह दोनों करते है ।

Q- जैसे क्या करते है ।

Ans. जैसे कोर्ट में अगर हमारी अच्छी परिस्थिती बन रहा है उसको दबाव डालने के लिए बिल्कुल हमकों रोड की लडाई भी तैयार करना पडता है । ताकि हमकों उसमें न्याय मिल सके ।

Q- जब वकीलों से जजों से कोर्ट में बैठें और भी तमाम क्लर्क से आप जाके मिलते है । किसी से तारीख लेना है आर्डर देना है तो किस तरह का रवैया रहता है क्योंकि उनको पता है आप किसी बडें उधोगपति की तरफ से आये नही आप एक मजदूर आन्दोलन की तरफ से आये है, खुद भी वर्कर है तो आपकों क्या लगता है वकील लोग आपके साथ किस तरह पेश आते है

Ans. हमारे साथ जुडें वकील लोग हमारे साथ बहुत ही सभ्यता व साधारण पूर्वक व्यवहार करते है और ऐसा जो क्लर्क उगेरा है जैसे नोटिस निकलवाना है या आर्डर की कापी लेना है तो बहुत दिनों से काम करने पर जो क्लर्क उगेरा होते है । उनके साथ

जान पहचान बन जाने से वह मदद कर भी देते है और जो नही समझते वहाँ ५० रूपयें लगना चाहिए तो १०० रूपयें की मांग करते है ।

Q- जजो को जब आप उनको सुनते है कोर्ट में फेसले करते हुए गवाही लेते हुए आपको क्या लगता है कि जज को कुछ समझ में आता है कि मजदूर की क्या समस्या है क्या मुशीबत है क्या बात रखा रहा है क्या जज का कोई रवैया उसकी तरफ को उसको जल्दी न्याय मिलना चाहिए आपकों कोर्ट में कैसा माहौल लगता है ।

Ans. कोर्ट में तो ऐसी स्थिती है कि जजों का जो रवैया है वह एक तो यह है कि मजदूरों के हित में वह काम नही कर रहा है हमेशा यही बोलते है कि गवाही (साक्षी) जुटाओं और हमने पहले ही बोल देते थे कि हमकों बिना सूचना बिना नोटिस के काम पर से निकाला है । हम साक्षी कहाँ से जुटायेगें तो ज्यादा तो यह है कि न्यायधीशों की जो प्रकिया है वह सब मिली भगत है जिधर से पैसा मिल जायेगा उसके ही पक्ष में आर्डर करते है ।

तो हम मजदूर द्वारा तो पैसा दे ही नही सकते है इसलिए बहुत से आर्डर हमारे खिलाफ ही जाते है क्योकि औधोगिक क्षेत्र में लगातार दुघर्टना हो जाते है । हमारे जो सम्बधित मजदूर आते है उसका कम्पनशेसन के लिए केस लगाते है ।

उसमें बहुत से केस में तो कुछ केस में प्रोग्रेस हुआ है कुछ ऐसे भी केस हुए है जिसमें हमारे खिलाफ गये है ।

Q- जैसे क्या ।

Ans. जैसे एक हमारा जो साथी है । राजेश स्टीप्स उरला में काम कर हा था वह फाउन्डेशन से काम रहा था उस बीच में फाउन्डेशन का काम करते करते वह नीचे में गिर गया उसके गिरने के बाद वह तुरन्त खात्म भी हो गया । मुन्नाचन्द सेठी तो हमारे द्वारा केस दायर किया गया केस दायर करने के बाद में ..... द्वारा यह बताया गया कि जिस तारिख को तो हमारा प्रोडक्शन चालू ही नही हुआ था इसलिए वह हमारे यहाँ काम ही नही करता था ।

Q- क्या आप लोग उसमें साबित नही कर पाये ।

Ans. इसमें हमारे द्वारा साबित हम यही बोले है कि मजदूर तो पहले फाउन्डेशन में काम करता था फाउन्डेशन के साथ यह हुआ है और आपका जो documents उत्पादन का पेश करा है वह तो दो साल के बाद का है ।

उसके बाद भी जज हमारे खिलाफ गये है ।

Q- फिर उसमें क्या किया ।

Ans. फिर हमने हाई कोर्ट में केस दायर किया है ।

Q- अभी वहाँ पर कुछ हुआ ।

Ans. नही अभी तक तो केस नम्बर पर ही नही आया वहाँ पर

Q- तो उसके परिवार को कुछ नही मिला अभी तक

Ans. नही अभी तक कुछ नही मिला है

Q- और कोई Act के तहत केस हो जो आपकों लगता है कि immportant केस हो किसी वर्कर का

Ans. Important केस तो हमारे तरफ से संगठन की तरफ से सभी ही है लेकिन प्रकिया ही ऐसी बनायी है कि जज की कमी है । यहाँ

पर जैसे कि मेरे जानकारी के हिसाब से कम से कम मिलाकर कम से कम ५-६ हजार तो यही पर ही केस है और महीने में ३० दिन होते है । तो एक जज कितनी सुनवाई कर पायेगा ।

Q- अन्दाजन एक केस को कितना टाईम लग जाता है ।

Ans. यहाँ पर हम देखा रहे हमारे ही केस को कम से कम एक केस जो १९९०-९२ से चल रहा है वह तो १३-१४ साल लग गये है । इसलिए न्याय की उम्मीद कर पाना मुश्किल है ।

Q- जब आप यह सब १० साल से कर रहे है तो आपकों भी थोडी बहुत जानकारी हो गयी ।

Ans. जी वकीलों के साथ जा रहा हूँ तो कानून की थोडी बहुत जानकारी तो है मुझें

Q- लेवर कोर्ट में कहते है कि चाहे वर्कर भी अपियर हो सकता है तो कभी किसी केस में आप खुद बात उगेरा बता देते कि केस में ऐसा है ।

Ans. जी हाँ उसमें अपियर हो सकता है लेकिन जो मायने पार्टी वाला जो वकील है तो वकील तो ऐसा कानूनी भाषा बोलते है तो मजदूर को समझ ही नही आता है जैसे कि बोलता है कि यह बात यही है कि आपके द्वारा निकाला नही है तो मजदूर उस बात को समझ नही पाता, हाँ या ना में जवाब देना पडता है । इसलिए मजदूर भी अपना पक्ष रखने के लिए वकील लगाये है ।

Q- मगर मुश्किल होती है आन्दोलन करने वकील जुगाडने में जैसे उधोगपति के तरफ से ज्यादा वकील आते होगें तो आन्दोलन की तरफ से मुश्किल रहती है वकीलों को रखाना

Ans. हाँ यह तो जरूरी क्योकि वकील तो पेशेवर है उनकों तो पैसा चाहिए जो समझता है वह हमारे साथ में सहयोग से चल भी रहा है । लेकिन हर महीने महीने उसकों पेमेंन्ट देना हो तो संगठन में तो इतना आवाज नही है, कि उसकों घर महीने पेमेन्ट कर सके आगें पीछें होता है लेकिन हमारे साथ जो वकील जुडें है वह अपने व्यवहारता रूप में सहयोग करते है ।

Q- आप कभी इन्सपेक्टर उगेरा से भी मिलते है लेवर इन्सपेक्टर चाहिए वह बेसेस का ही चाहिए वह दूसरी तरफ का कभी खुद मिले है उनसे बात उगेरा कोई हुई है ।

Ans. जी हमारा तो जो शुरूवात होती है वह लेवर इन्सपेक्टर से ही शुरू होता है । हमारे साथ जो भी मजदूर को कम्पनी से काम पर से निकाला जाता है । या बोनस के सम्बंध में हो चाहे न्यूनतम वेतन के सम्बंध में हो पहले तो हम LC सहायक समुक्ता मे ही शिकायत करते है । शिकायत करने के बाद वह केस को इन्सपेक्टर को दे देते है । इन्सपेक्टर के साथ तो हमारा रोज मुलाकात होता रहता है ।

Q- आपकों उनके काम का कैसे लगता है ।

Ans. उनके काम के प्रति तो हम असन्तोष ही नजर आते है क्योकि हमारा मजदूर अगर काम लगातार कर ही रहा है उसके बाद हमारे साथ संगठन में जुडें रहते है तो हम पहले मानक स्थायी आदेश के तहत हम उसको न्यूनतम वेतन हाजरी काट के मॉग करते है । वह स्थिति तो हमारे साथ हुआ है । मजदूरों को जॉच करने के

बाद मजदूरों को निकाला है तो इससे हमारा लेबर इन्सपैक्ट के प्रति विश्वास उठ जाता है ।

Q- लेवर इन्सपेक्टर वगैरा आप लोगों के आन्दोलन को आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते है ।

Ans. हमारे साथ तो हमेशा गलत ही उपयोग किये है । क्योकि जो उधोगपति होता है उधोगपति तो केवल उधोग के उपर ही ध्यान देते है कानून व्यवस्था बताने वाले तो यह लेवर इन्सपेक्टर ही होते है जो उनकी मदद करते है ।

Q- उधोग पति के उपर कोई प्रभाग या कुछ कह पाते है ।

Ans. उधोगपति को इसलिए उनकों प्रभाग क्योकि इनकी बातों को कोई सुनवाई नही करते है । क्योकि इनकों इतना अधिकार नही दिया गया कि डंडा लेकर उधोगपति को कोई कानूनी प्रकिया बता सके । उसकों इतना अधिकार दिया है कि अगर उधोगपति कोई बात को नही मानता है तो सीधा केस को लेबर कोर्ट में दायर कर दों इसलिए उनकी बात को कोई सुनता भी नही है ।

Q- और यहाँ पर आपकों लगता है कारपोरेशन उगेरा भी चलता है

Ans. हाँ वह तो चलता ही है जैसे हमने पहले कह दिया कि अगर हम शिकायत किया है तो वह सीधें जाकर कम्पनी मालिक से मिलता है और चैम्बर में बैठकर के उनसे जानकारी लेता है पैसा लेता है वापिस आ जाता है । मजदूरों को जानकारी ही नही होती शिकायत करने वालों को पूछताछ नही करते है ।

Q- कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने किसी इन्सपेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखी है लेबर सिक्टरी पर किसी को कि यह गलत इन्क्वारी कर रहा है या गलत रिपोर्ट दाखिल कर रहा है । ऐसा कभी हुआ है ।

Ans. नही एक दो बार तो हम लोगों ने किया भी है गलत रिपोर्ट पर लेकिन व्यवस्था ही बुरा हो तो कौन सुनने वाला है वहाँ पर ।

Q- किसको रिपोर्ट करनी होती है ।

Ans. पहले हम श्रम सचिव को रिपोर्ट करते है वहाँ के जो अधिकारी होते है उनको करते है लेकिन सबसे उपर से नीचे तक एक ही रवैये के है तो कौन वहाँ पर न्याय देगा हमारा एक केस धमतरी PBS Oil Mills का है जिसमें लेवर डिपार्टमैन्ट ने श्रम न्यायालय को रेफर किया है उस रिफरेन्स को चैलेन्ज करने के लिए कम्पनी मालिक द्वारा हाई कोर्ट गये है ।

हाई कोर्ट में यह चैलेन्ज किये है कि जो सरकार द्वारा रिफरेन्स किया है वह गलत है तो हाई कोर्ट ने उस रिफरेन्स जो किया है उसके आवदेन पर सुनवाई करके यह बोला है कि जो शासन द्वारा रिफरेन्स हुआ है वह सही हुआ है और कोर्ट को यह निर्देश दिया था कि उस केस को तीन महीने के अन्दर फेसला करे ।

लेकिन उस आर्डर को ४ साल हो गये उस केस में यह स्थिति कि लगातार सुनवाई चल रहा है । ३ महीने जो बोले थे वह ३ साल निकल गये है । उस प्रकिया में अभी तक पूरा नही हुआ है ।

Q- तो यहाँ पर श्रम न्यायालय हाई कोर्ट के आर्डर आने के बावजूद भी नही करता है

Ans. नही करता है ।

Q- तो उसमें अभी क्या चल रहा है ।

Ans. उस PBS Oil Mills में यह चल रहा है कि उसमें जो लेवर कोर्ट ने आर्डर किया था कि ३ महीने के अन्दर फेसला देने के लिए बोला था उसमें कंपनी वकील द्वारा यह बोला गया है कि हमकों ----------तो अभी जोडना है तो अभी फिलहाल १.५.२००० का है २५.१.२००० का है इसमें लेवर कोर्ट ने उसको खारिज किया है । आप जो भी बिन्दु जो भी जोडना था उसने तो WS आपकों जवाब में कर चुके है अलग से आपकों बिन्दू जोडने की नही है । यह खारिज किया है तो उस आर्डर के खिलाफ में फिर इन्डस्ट्रीयल कोर्ट में गये है । तो इन्डस्ट्रील कोर्ट ने भी २२ तारिख पिछले महीने यह खारिज किया है कि श्रम न्यायालय जो आर्डर किये है वह सही है और वह मुत फाईल को वापिस किये है ।

Q- आपका मतलब यह कि वह हर वक्त किसी न किसी कोर्ट में जाकर उस बात को लम्बा खीचने की एक प्रकिया चल रही है ।

Ans. जी उनकों यह है कि हमेशा आगे पीछें करके केस लम्बा चला रहे है ।

Q- तो इस घमतरी वाली फक्ट्री में मेन मुददा क्या था जिस पर झगडा हुआ था

Ans. झगडा भी इसलिए हुआ था कि वहाँ पर भी श्रम कानून का पालन नही हो पा रहा था तो मजदूरों ने संगठित होकर हमारे संगठन के साथ जुडा और श्रम कानून के पालन के लिए वहाँ पर लिखित आवेदन दिया गया तो वहाँ का जो नियोजक है वह मजदूरों को काम से निकाल दिया ।

Q- यह किस चीज की फक्ट्री है ।

Ans. Oil कम्पनी की तेल बनाता है ।

Q- वहाँ पर क्या क्या श्रम कानून का पालन नही हो रहा था

Q. वहाँ पर क्या क्या श्रम कानून का पालन नही हो रहा था

A. वहाँ पर हाजरी कार्ड नही देना न्यूनतम वेतनमान का पालन नही करना वेतन स्लिप नही देना ESI की PF की व्यवस्था नही करना जो श्रम के तहत है उसके खिलाफ में सगंठित होकर मजदूरों ने हमारे संगठन के साथ जुडा उसके बाद मजदूरों ने हमारे संगठन के साथ जुडा उसके बाद मजदूरों को वहाँ से काम से निकाल दिया गया ।

Q. कितने मजदूर आपके साथ आये ।

A. वहाँ पर हमारे साथ १६५ मजदूर आये है ।

Q. इतनी लम्बी लडाई लडते लडते तो मजदूर लोग कभी यह नही कहते होगें कि हम तो कहाँ फस गये इससे अच्छा तो जैसे कर रहे थे काम वैसा ही करे, ऐसा भी होता है ।

A. जी वहाँ पर जो १६५ मजदूर है वह आस पास के ही रहने वाले है और अपनी खोती किसानी करते है और हमारा जो संगठन में जुडाव उनका दल्ली राजहरा बहुत पहले नजदीक पडता था इसलिए

उन लोगों को जानकारी था और नियोगी जी के समय के ही वह लोग वहाँ पर सगंठन से जुड़ें हुए थे और प्रवालित हुए थे और नियोगी जी के नही रहने के बाद भी आज भी लोकल स्तर के मजदूर खेती किसानी करके आना जीवन चला रहे है ।

और वह सभी मजदूर संगठन की तरफ पूरी निष्ठावान है कि जो भी संगठन करेगा व सही करेगा इसलिए आज वह हमारे न ही हताश हुए है आज भी अपने सघर्ष के मैदान में डटें हुए है ।

Q- कानून के थुरू कुछ भी कुछ भी हक निकलवापाना या कोई भी चीज निकलवा पाने के लिए क्या जरूरी करना होता है संगठन करे ।

Ans. कानून के तहत कोई भी चीज पाने के लिए हमेशा हमको रोड की लडाई की बदौलत ही मिला है केडिया डिस्टरली तो हमेशा यह बोलता था कि मुझें तो छत्तीसगढ के जगलों से मुफ्त में महता मिल जाता है और खास नदी चिनार नदी का पानी मिल जाता है और यहाँ पर जो भी चीज है सस्ता है और मै संगठन से क्या बात करूंगा नियोजी जी से हमेशा यही बोलता था कि दल्ली से दिल्ली तक नोट बिछा दूंगा लेकिन बात नही करूंगा तो आज जो ६५-३ के तहत जो केडिया डिस्टलरी हमको तीन साल से बेतन दे रही है वह तो हमारे सघर्ष की बदौलत ही दे रहा है । उसी सघर्ष के तहत हम लोग जो भी कानून को पाने के लिए हमेशा हमारा सोच रहता है कि हमारा रोड की लडाई सही है । इसलिए हम कानून से कुछ हासिल कर सकते है ।

Q- आपने यह कानून की जानकारी कैसे सिखी ।

Ans. मै संगठन में मुझे जो लेबर कोर्ट में मजदूरों के पक्ष को रखते हुए हमारे जो भी सगठन के द्वारा वकील है उन वकीलों के साथ काम करते करते मै यहाँ तक पहुचा हूँ इसलिए मुझें यह जानकारी हुआ है ।

Q- आप कभी कभी खुद तंग नही आ जाते कानून और उसकी व्यवस्था से और नही लगता कि हम लोग क्या कर रहे है ।

Ans. कानूनी व्यवस्था से तो तंग आ जायेगें लेकिन हम ही निराश हो जायेगें तो हमारे साथ जो अन्य मजदूर है वह तो बहुत जल्दी निराश हो जायेगे । इसलिए हम को तो वह बोलते है न दीया तले अन्धेरा अगर दीया जल रहा है नीचे अन्धेरा है पर उनको प्रकाश देना ही पडेगा इस प्रकार हम उरला से साईकिल पर आते है, हमको रोज २५ कि.मी. साईकिल चलाना पडता है ।

लेबर कोर्ट जाना है इन्डस्ट्रीयल कोर्ट जाना है PF आफिस जाना है । उसके बाद है ESI आफिस जाना है फैक्ट्री आफिस जाना है इस प्रकार हमको २०-३० कि.मी. साईकिल चलाना पडता है उसके बाद मजदूर अगर हमारे पास कोर्ट में आते है रोड पर मिलते है कम्पनी में मिलते है । हमकों जो तकलीफ है उस तकलीफ को छिपा कर उसको यह देखते है कि उसको निराशा नही होनी चाहिए खुशी रहना चाहिए । A

Q- अब जो सारे दफ्तर है नई स्कीम निकाल रही है सरकार पुरा श्रम कानून बदल दो और ठेका मजदूरी सब जगह होनी चाहिए PF उगेरा का सिस्टम बदल दो ESI का सिस्टम बदल दो न्यूनतम

वेतन का सिस्टम बदल दो तो आपकों क्या लगता है कि उससे मजदूर कि क्या हालत होगी ।

Ans. अभी जो द्वितीय श्रम में आयोग सिफारिश जो चल रहा है इसमें तो मजदूरों का कही रूकने की जगह नही है जो प्रथम श्रम विभाग बना हुआ है उसका ही पालन नही हो पा रहा है । अगर उसकों पालन कराने के लिए मजदूरों को गोली खाना पडता है । कभी रोड जाम करना पडता है, कभी भूख हडताल करना पडता है ।

अगर द्वितीय श्रम आयोग लागू हो जायेगा तो मजदूरों का कही ठिकाना नही है । पहले तो कानून व्यवस्था यह बोलता था जहाँ पर २० मजदूर है वहाँ तो श्रम कानून के तहत जो भी सुविधा है वह उसको मिल जायेगी अभी तो द्वितीय श्रम विभाग में बता रहे है कि जहाँ पर १००० मजदूर होगें वहाँ पर श्रम कानू लागू होगा उसमें भी जो PF करेगा वह मालिक के जेब में रहेगा PF आफिस में जमा नही होगा ।

तो आज तो जहाँ पर मजदूर की आज तो ऐसी स्थिति है कि प्रथम श्रम के तहत आज भी कही ऐसी कंपनीया है जो सालों तक मजदूरों की पेमेन्ट को काट लेता है कि हम आपका PF जमा कर रहे है और ऐसी स्थिती है कि पैसा मिलता नही है ।

जबकि कानून व्यवस्था बना हुआ है अगर द्वितीय श्रम में कानून जब लागू हो जायेगी तो यह गारन्टी नही है कि मजदूरों का जो पैसा कटा हुआ है वह वापस मिल जायेगा ।

Q- और यूनियन का भी पूरा ढांचा बदने की बात हो रही है अभी तो रजिस्टर यूनियन होती है उसके बाद मालिक तय करेगा कि कौन सी यूनियन सही रहेगी ।

Ans. डसमें यह है कि मालिक तय करेगा तो मालिक के इशारे पर चलने वाला ट्रेड यूनियन ही वहाँ पर काम करेगा तो वह मजदूरों को तो कुछ दिलवा ही नही पायेगे । और इसलिए द्वितीय रम के तहत जो भी कानून बनाया उसमें मालिक तय करेगा कि कौन सी यूनियन को रखाना है । तो इसमें तो बहुत खराब स्थिती हो जायेगी मजदूरों की जो न्याय मिलना है वह नही मिल पायेगा ।

Q- जो आप केस देखते है उसमें कभी भी न्यूनतम वेतन के केस में मालिक को लेबर इन्सपेक्टर की रिपोर्ट और श्रम न्यायालय के तहत दबाव किया गया और न्यूनतम वेतन कही मिल पाया है ।

Ans. न्यूनतम वेतन तो कही मिल नही पाया है और इसके तहत एक उधोगपति अगर कानून का पालन नही करता है । लेबर इन्सपेक्टर द्वारा जॉच करने के बाद श्रम विभाग को लेवर कोर्ट हिसाब देता है उसे बाद ४ साल ५ साल में केस लगाने के बाद जो वहाँ का न्यायधीश होता है उसके एवरेज में उसकों दंण्ड देता है । वह ५००-६०० देते हे ।

तो एक उधोग पति ५००-६०० रूपये देकर श्रम कानून का पालन करना एक बडी बात नही है वह बहुत खराब स्थिती है । वहाँ पर उनकों कुछ फर्क नही पडता ।

Q- कभी किसी उधोग पति को आपके नॉलेज में किसी को कभी सजा दी गयी क्योकि उसमें तो वह जेल भी भेज सकता है । कभी

उरला क्षेत्र में किसी मालिक को कि तुम न्यूनतम वेतन नही देते है इसलिए अब हम तुमकों जेल भेजेगं ऐसा कभी आर्डर हुआ है ।

Ans. न्ही ऐसा आर्डर मेरी जानकारी में १०-१२ सालों में तो कोर्ट के अन्दर जो मै देख रहा हूं ऐसा कभी नही हुआ है ओर इसलिए नही हुआ है कि क्योकि उसके दंड तो है लेकिन पहले तो वह आर्थिक दण्ड बता देते है इसलिए कोर्ट की जो सजा है उस सजा से वह बच जाते है ।

Q- आर्थिक दण्ड ज्यादा से ज्यादा क्या करते है ।

Ans. आर्थिक दण्ड जो करते है वह ५००-१००० रूपये से उपर नही करते है ।

Q- उधोगपतियों की तरफ से काफी सारे वकील आये रहते है कैसा रहता है ।

Ans. डनका तो पहले वकीलों का झंडा एक प्रकरण अगर चलता है उस प्रकरण में ऐसा देखें कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी जाने का मौका मिलता है उसमें एक केस में तो १० वकील खाडा होता है तो पहले उनका यह ध्यान रहता है कि जज का मिस गाईड करना है उसके दिमाग को अपनी तरफ आर्कषण करना है उसके बाद में पूरी प्रकिया में जाते है तो इस प्रकार से न्यायधीश भी प्रभावित हो जाते है ।

इसलिए प्रथम पक्षकार जो मजदूर होता है वह एक वकील के द्वारा चलता है इसलिए उसकों न्याय भी नही मिल पता है ।

Q- ALC के पास भी जो चलता है प्रोसिडिंग उसमें भी जाते है

Ans. जी वहाँ पर मै जाता हूँ

Q- वहाँ पर जो पूरा निगोसोशियन कंसीलेशन का सिस्टम बना रखा है उसमें क्या रहता है ।

Ans. उसमें तो यह रहता है कि पहले हमारे संगठन द्वारा या मजदूरों द्वारा जो पहले शिकायत करते है कि हमकों फला कम्पनी द्वारा काम पर से निकाल दिया गया है और निकालने से पहले न हमको सूचना दिया है न नोटिस दिया है न नोटिस पेय दिया है ।

Q- उरला क्षेत्र में क्या ऐसा हुआ है उदाहरण देकर बतायेगें

Ans. उरला क्षेत्र में अभी तत्कालीन में हमारा रिटवाहरमानी बिस्कुट है वहाँ पर हमारे द्वारा काफी दिनों से हमारे संगठन से जुडें हुए मजदूर है और उनको पिछलें महीने उनकों बिना सूचना बिना कारण बताये नियोजकों ने कंपी बद कर दिया था तो हमारे द्वारा अवेधानिक तालाबन्दी के खिलाफ हमने श्रम विभाग के जानकारी दिये है, जानकारी देने के बाद उसमें बैठक हुआ है और बैठक दौरे के बाद भी नियोजक द्वारा आज तक बैठक पर आये नही है उनको सम्मन गया नोटिस गया फिर भी आज तक वह आये नही है । उसके बाद एक्स पार्टी कार्यवाही करके उपश्रमिका को दिया उपश्रमिकता को देने के बाद में फिर अभी उपश्रमिकता भी ५-६ महीने निकाल देते है लेबर कोर्ट को रिफरेन्स करने के इस प्रकार वह हरमानी बिस्कुट की प्रकिया चल रहा है ।

Q- यह जो पूरा कंसीलिसियन का सिस्टम है इसमें कई बार देखा जाता है कि मैनेजमैन्ट वाले आते ही नही है आपकी नजर से यह सिस्टम काम कर रहा है कि क्या हो रहा है हसमें ।

Ans. नही यह सिस्टम इसलिए काम नही कर पा रहा क्योकि इनकों कुछ पावर नही दिया गया है LC को कोई पावर नही दिया गया है कि ताकि पुलिस को भी पावर दिया रहता है कि डंडा पेश करो उस प्रकार कि जब तक उनकों थोडा बहुत पावर नही दिया जायेगा तो तब तक वह कंसीलिसियन में नही आयेगे ।

वह जानते है कि ज्यादा से ज्यादा लेबर कोर्ट को रिफरेन्श करेगे और लेबर कोर्ट में जाने के बाद भी वही प्रकिया है कि लंबी प्रोसीजर चलना है इस कारण वह कंसीलिसियन में नही आते है ।

एक हमारे रायपुर क्षेत्र के अन्दर एक हरि आयरन है हरी आयरन में जो ठेला जो लोडिंग/अनलोडिंग मजदूर जो काम करते है उन मजदूरों ने १०-२० साल काम किया है और उसके बाद पिछले साल उनको काम से निकाल दिया गया

Q- कितना वेतन मिलता था

Ans. उनकों ५० रूपयें वेतन मिलता था उसके बाद में हमारे द्वारा केस दायर किये है केस दायर करने के बाद में वहाँ नियोजक पक्ष भी अपना पक्ष रक्षा उसके बाद में जो LC ने यह आर्डर किया है कि इसकों पिछला वेतन के हिसाब से इसकों काम पर रखों उसके बाद मे उसकों हमने नोटिस दिया कि मजदूर को काम पर रखों फिर भी नियोजक ने आर्डर का पालन नही किया उस आर्डर का पालन कराने के लिए हमने वसूली के लिए हम लेबर कोर्ट में लगाये है वह भी २५ तारीख को था उसमें वकील गया था एक्स पार्टी हुआ है । एक्स पार्टी करने के बाद अगला जो पेशी जो ८.

१.२००४ को गया है उसमें हमारा प्रथम पक्ष मजदूरों द्वारा ब्यान करायेगें उसके बाद लेबर कोर्ट उसमें आर्डर करेगा ।

Q- उसमें इन्टेरम कोई राहत नही मिलेगी ।

Ans. न्ही उसमें अन्तरिम राहत उसमें सीधा RRC जारी करने के लिए उसको आर्डर करने के लिए बोले है ।

Q- एक और केस बतायेगे ।

Ans. अभी हमारे यहाँ जो १५ मजदूर काम करते है । रायपुर लेक्स लिमिटेड उरला वहाँ पर ज्यादा बाहर के लोग है उडीसा बिहार के लोग काम करते है यहाँ पर ही घर उगेरा बना लिए है । उनकों नियोजन द्वारा काम से निकाल दिया गया है और नियोजक द्वारा काम से निकालने के बाद हमारे संगठन द्वारा LC में उनका केस लगाये है । वहाँ उनकी प्रकिया चल रहा है उसमें भी नियोजकों अभी उपस्थित नही हो रहे है ।

Q- मगर जिसमें नियोजक शामिल नही होता उस केस को भी लंम्बा खीचने का डर रहता है ।

Ans. जी वहाँ पर नियोजक उपस्थित नही होते है २ पेशी ४-५ पेशी ऐसा करते करते ६ महीने साल तो ऐसे ही लग जाता है LC आफिस में उसे बाद पाक्षिक कार्यवाही करने के बाद वह उप श्रमिकता ५-६ महीने प्रकरण को देखते है । जॉच करने है उसके बाद वह कोर्ट को रेफर करते है । इस प्रकार से सभी जगह पर लम्बी प्रकिया है । श्रम कानून और मजदूरों को तत्कालीन न्याय मिलने की गुजाईश नही है ।